संख्या-2/2019/1928/36-2-2018-91/2011

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 20109**

विषय- बोर्ड की महात्मा गांधी पेंशन योजना में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4582/भ0नि0बो0(486)-18, दिनांक 12-12-2018 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा माडल वेलफेयर स्कीम में पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन दिये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्देश दिये गये है :-

"However, pension should be admissible to only those registered BOC workers who have remained registered for a minimum of 10 years. In this regard the State Welfare Board Should issue a certificate to the effect that a BOC worker has remained registered for a period of 10 years. "

2- इस संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक दिनांक 23-10-2018 के प्रस्तर-2.8 पर "माडल वेलफेयर स्कीम" के बिन्दुओं के क्रियान्वयन पर सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त के क्रम में सचिव, बोर्ड ने बोर्ड द्वारा वर्तमान में संचालित "महात्मा गांधी पेंशन योजना" के प्रस्तर-03 (पेंशन की पात्रता) में संशोधन किये जाने हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :-

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर-03 पेंशन की पात्रता	03. 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्ववर्ती कम से कम 03 (तीन) वर्ष तक लागातार "लाभार्थी" के रूप में सदस्य बना रहना।	03. 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्ववर्ती कम से कम 10 (दस) वर्ष तक लागातार "लाभार्थी" के रूप में सदस्य बना रहना।

3- अत: वर्तमान में संचालित "महात्मा गांधी पेंशन योजना" के प्रस्तर-3 में उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन पर अनापत्ति इस शर्त के साथ दी जाती है कि बोर्ड द्वारा इस योजना का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संचालन पात्र पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकरों के हित में पूर्ण रूपेण किया जायेगा तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा संगत नियमावली 2009 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही योजना के संचालन में शासन स्तर से वर्तमान तथा भविष्य में कोई वित्तीय/आर्थिक मदद नहीं दी जायेगी।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2019/1928(1)/36-2-2018, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय शंकर तिवारी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।